an>

Title: Need to permit rearing of milch animals in Delhi.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, सन् 1970 के बाद भारतीय डेयरी विकास निगम द्वारा "श्वेत क्रांति" की ऐतिहासिक सफलता के बाद दूध के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। परन्तु दुर्भाग्य से हमारी दूध पर आत्मनिर्भरता और दूध की भारी वृद्धि के बावजूद सिंथेटिक दूध का अवैध उत्पादन बढ़ता चला गया व लगातार जारी है। डेयरी उद्योग भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। चिकित्सकों के अनुसार सिंथेटिक दूध के उपयोग से लीवर, गुर्दे और आँखों में सूजन हो सकती है। यह दूध एक मीठा जहर है, जो धीरे-धीरे शरीर को बीमारियों के लिए उपजाऊ बनाता है तथा यह दूध हृदय रोगियों और गर्भवती महिलाओं के लिए और भी खतरनाक है। दिल्ली की अधिकांश आबादी (लगभग 85 प्रतिशत) को शुद्ध पौष्टिक दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है। गाय के दूध में विटामिन "ए" है, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसी प्रकार भैंस के दूध में मट्ठा प्रोटीन होता है, जो कि विकृतीकरण गर्मी के लिए प्रतिरोधी है। आज राजधानी दिल्ली में गाय-भैंस पालना दुश्वार हो गया है। दिल्ली में आपको कुत्ते, बिल्ली पालने की इजाजत तो है, लेकिन आप दुधारू मवेशी नहीं पाल सकते हैं। दिल्ली के सरकारी विभागों, वेटरनिटी विभाग के लोग आवारा जानवरों को तो पकड़ते नहीं, लेकिन गाय व भैंसों को लोगों के घरों व उनकी जमीनों से खोलकर ले जाते हैं। आज एक भैंस की कीमत 1 से डेढ़ लाख रूपए है, जो बहुत से परिवारों के भरण-पोषण का स्रोत भी है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजधानी दिल्ली के लिए एक अध्यादेश लाकर नागरिकों को एन.डी.एम.सी. क्षेत्र से बाहर यह अधिकार दिए जाएं, जिसमें 100 गज व उससे ज्यादा जमीन रखने वाले व्यक्ति को एक गाय व भैंस पालने की इजाजत हो ताकि अधिक से अधिक आबादी तक शुद्ध व पौष्टिक दूध उपलब्ध हो सके। जिससे हम स्वस्थ भारत की ओर एक कदम और बढ़ सकें तथा बहुत से परिवारों के भरण-पोषण में मदद मिल सके।